

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 04/2015 सत्रवाद (विशेष)

संस्थापित दिनांक 02-12-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०।

-----अभियोजन

बनाम

रामप्रसाद धानुक पुत्र बनवारीलाल धानुक, उम्र
22 वर्ष, निवासी ग्राम बिरखडी, आरक्षी केन्द्र
गोहद चौराहा, तहसील गोहद, जिला भिण्ड
म०प्र०

-----आरोपी

शासन द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।
आरोपी की ओर से श्री सुरेश गुर्जर अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 09.12.2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 363, 366, 376(2)(आई) भा०दं०वि० एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 25.09.2015 को दिन के दो बजे फरियादी का घर ग्राम पीलागढ़ा बिरखडी फरियानी मुन्ना उर्फ आमिर की नावालिग पुत्री जो कि 15 वर्ष की थी को उसके विधि पूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक या उसके करीब उक्त नावालिग पीडिता का व्यपहरण/अपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश या विलुब्ध कर या यह संभाव्य जानते हुए कि अयुक्त संभोग करने हेतु उसे विवश या विलुब्ध किया जावेगा उसका व्यपहरण किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय या उसके करीब अभियोक्त्री जो कि 16 वर्ष से कम उम्र की थी के साथ बलात्कार किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब अभियोक्त्री जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया एवं

गुरुत्तर लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 26.09.2015 को ग्राम बिरखडी निवासी मुन्ना खॉ के द्वारा अपनी पुत्री के दिनांक 25.09.15 को घर से करीब दो बजे गोहद चौराहा पर दवाई लेने जाना और उसके घर लौटकर न आने के तथा उसे ढूँढने पर न मिलने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो गुमइंसान सूचना क्रमांक 14/2015 पर लेखबद्ध की गई। गुमइंसान जाँच के दौरान फरियादी मुन्ना खॉ, सकीना बेगम तथा शहनाज के कथन लेखबद्ध किए गए एवं शा0मा0वि0 बिरखडी के प्रधान अध्यापक द्वारा विद्यालय की भर्ती रजिस्टर के अनुसार गुमशुदा की जन्म दिनांक 15.07.2000 होने के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया। जाँच पर से पाया कि व्यपहृता जो कि नावालिग थी जिसकी उम्र 15 वर्ष थी उसे आरोपी रामप्रसाद धानुक बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना और उसे अयुक्त संभोग करने अथवा विवाह करने हेतु विवश या विलुब्ध करने हेतु ले जाना गया जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्रं0 235/15 धारा 363, 366 भा0दं0वि0 का लेखबद्ध किया गया। अपहृता की दस्तयावी की गई आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। उसके धारा 161 दं.प्र.सं. के पुलिस कथन एवं धारा 164 दं.प्र.सं. के मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध किए गए। अपहृता एवं आरोपी का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पीडिता एवं आरोपी के प्यूबिक हेयर इस्लाइड व चड्डी की जप्ती की गई। अपहृता को उसके पिता की सुपुर्दगी में दिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 376 भा.द.वि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 363, 366, 376(2)(आई) भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:—

1. क्या अपहृता/पीडिता घटना दिनांक 25.09.2015 को 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?

2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 25.09.2015 को दो बजे या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग है को गोहद चौराहा थाना क्षेत्र से उसके पिता की विधि पूर्ण संरक्षकता से उसकी सहमति के बिना ले गए/बहलाकर ले गए?
3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग है को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि उसे इस हेतु विवश या बिलुब्ध करेगा उसका व्यपहर/अपहरण किया?
4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिग स्त्री जो कि 16 साल से कम उम्र की होकर एवं सहमति देने में सक्षम नहीं है के साथ बलात्संग किया?
5. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक या उसके करीब अपहृता जो कि नावालिग स्त्री है के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित क्या?
6. क्या आरोपी के द्वारा उक्त दिनांक समय या उसके करीब नावालिग स्त्री के साथ गुरुत्तर लैंगिक प्रवेशन हमला कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 :-

06. सर्वप्रथम पीडिता/अभियोक्त्री की घटना के समय उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर पीडिता के पिता मुन्ना खॉ अ0सा0 1 के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में पीडिता की उम्र के संबंध में कोई बात नहीं बताई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी पीडिता की उम्र घटना के समय 19 वर्ष की होना बता रहा है। इस बिन्दु पर पीडिता की माँ सकीना अ0सा0 2 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में पीडिता की घटना के समय उम्र 19 साल की होनी बताई है तथा पीडिता के बड़े भाई इसरायल अ0सा0 8 के द्वारा घटना के समय पीडिता की उम्र 17 वर्ष की होना बताई है, किन्तु इस संबंध में मात्र माता के मौखिक साक्ष्य के आधार पर पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
07. पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है जो कि इस संबंध में पीडिता के पिता मुन्ना खॉ के द्वारा उसकी बच्ची पीडिता के प्राथमिक विद्यालय बिरखडी में पांचवी कक्षा तक पढ़ने के संबंध में बताया है और इस बिन्दु पर पीडिता अ0सा0 5 के द्वारा भी विद्यालय में पढ़ने के संबंध में बताया है।
08. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय प्राथमिक विद्यालय

बिरखडी के प्रधानाध्यापक केशवसिंह अ0सा0 7 के कथन भी कराए है जिनके द्वारा पीडिता के जन्म तिथि के संबंध में विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 15.07.2000 होना बताई है, जो कि पीडिता के उनके विद्यालय के भर्ती रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि बताई गई है जो कि मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 14 और उसकी फोटोप्रति प्र.पी. 14सी है। उक्त साक्षी का कथन भी प्रतिपरीक्षण उपरांत किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं होता है।

09. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

10. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु दिए गए दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। ऐसी दशा में घटना जो कि दिनांक 25.09.2015 की होनी बताई गई है उस समय पीडिता की उम्र 15 साल 02 माह 10 दिन की होनी पाई जाती है जो कि घटना के समय नावालिग होना प्रमाणित होती है।

बिन्दु क्रमांक 2 लगायत 6:-

11. धारा 363 भा0दं0वि0 जो कि भारत से या विधिपूर्ण संरक्षिता से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करने के संबंध में दण्ड का प्रावधान करती है। व्यपहरण को धारा 361 भा0दं0वि0 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके लिए निम्न आवश्यक तथ्य हैं— (i) किसी अप्राप्तव्य को यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को और यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को या विकृत्तचित्त व्यक्ति को। (ii) विधि पूर्ण संरक्षिता से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाया जाता है या बहलाकर ले जाया जाता है।” धारा 366 भा0दं0वि0 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण किसी व्यक्ति से विवाह करने

के लिए विवश करने के आशय से या विवश करने अथवा समभाव्य जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध किया जाना आवश्यक है।

12. घटना दिनांक को अभियोक्त्री के घर से चले जाने और उसके न मिलने तथा उसकी इधर उधर तलाश करने और घटना के दूसरे दिन थाना गोहद चौराहा पर उसके गुमने की सूचना देना साक्षी मुन्ना खॉ अ0सा0 1 जो कि पीडिता का पिता है के द्वारा बताया गया है। उनके द्वारा गुमइंसान सूचना प्र.पी. 1 थाने पर लिखाई गई थी। साक्षी यह भी बताया है कि घटना के 9 दिन बाद उसकी लडकी बापस लौटकर आई थी, पुलिस ने दस्तयावी पंचनामा प्र.पी. 2 बनाया था और लडकी उसे सुपुर्दगी पर दी थी जो कि सुपुर्दगीनामा प्र.पी. 3 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

13. पीडिता के घर से चले जाने और उसकी तलाश करने पर न मिलने के संबंध में और बाद में उसके लौटकर आने के संबंध में साक्षी सकीना अ0सा0 2 जो कि पीडिता की माँ है, सोनू खॉ अ0सा0 3 जो कि पीडिता का जीजा है, पप्पू खॉ अ0सा0 4 जो कि पीडिता का चाचा है, साक्षी सहनाज अ0सा0 6, साक्षी इजरायल अ0सा0 7 जो कि पीडिता का भाई है के कथनों में भी पीडिता के गुम हो जाने और तलाश करने पर न मिलने तथा उसके बाद में बापस आने के संबंध में आया है।

14. इस प्रकार पीडिता के घर से चले जाने और उसके गुम जाने के संबंध में उसके पिता मुन्ना खॉ के द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई जाने और बाद में पीडिता के 9-10 दिन बाद बापस आने और उसे पुलिस के द्वारा दस्तयाब किये जाने और पिता के सुपुर्दगी में लिए जाने का तथ्य उक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है। अब मुख्य रूप से विचारणीय यह हो जाता है कि - क्या आरोपी के द्वारा पीडिता को उसकी विधि पूर्ण संरक्षिता से ले जाया गया या बहलाकर ले जाया गया? क्या आरोपी के द्वारा उक्त नावालिंग स्त्री का व्यपहरण अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के उद्देश्य से किया गया? क्या आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया गया? क्या आरोपी के द्वारा व्यपहृता के साथ लैंगिक हमला कारित किया? क्या आरोपी के द्वारा व्यपहृता के साथ गुरुतर लैंगिक हमला कारित किया?

15. आरोपी के द्वारा व्यपहृता को ले जाने के संबंध में अभियोक्त्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में अभियोक्त्री का कथन महत्वपूर्ण हो जाता है। अभियोक्त्री को अ0सा0 5 के रूप में अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराया गया है। अभियोक्त्री ने अपने कथन में यह बताया है कि वह गोहद चौराहा पर दवाई लेने आई थी और

उसके बाद वह ग्वालियर स्टेशन चली गई थी और ग्वालियर से वह अहमदाबाद चली गई। उसने आरोपी को आने के संबंध में फोन किया था तो आरोपी उसे लेने के लिए स्टेशन पर आया था और फिर आरोपी के साथ उसके कमरे पर गई थी, जहाँ वह चार दिन रही थी। आरोपी के द्वारा उसके साथ किसी प्रकार से बुरा काम नहीं किया गया है। उक्त अभियोक्त्री को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षिया इस बात को स्वीकार की है कि वह ग्वालियर से अहमदाबाद अकेली गई थी उसे कोई लेकर नहीं गया था। अहमदाबाद में उसने रामप्रसाद को फोन कर बुलाया था जो कि रामप्रसाद उसका पूर्व परिचित और पड़ोसी था। रामप्रसाद ने उससे कहा था कि तुम यहाँ क्यों आ गई हो, उसके बाद रामप्रसाद को अपने साथ अहमदाबाद से गोहद चौराहे पर लाई थी। इस प्रकार अभियोक्त्री के उक्त कथन से ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता है कि आरोपी के द्वारा उसे ले जाने अथवा बहला फुसलाकर ले जाने का कोई कृत्य किया गया हो, बल्कि अभियोक्त्री के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वह अहमदाबाद तक अकेली पहुँची थी और उसने आरोपी को कि उसका परिचित था उसे फोन कर बुलाया था। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आरोपी के द्वारा पड़ोसी होने के नाते उसे अपने यहाँ कोई संरक्षण दिया गया और बाद में वह अभियोक्त्री को छोड़ने के लिए भी आया तो मात्र इस आधार पर कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को ले जाया गया हो अथवा उसे ले जाने हेतु बहलाया गया हो।

16. अभियोक्त्री के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपी के द्वारा उसे उसके साथ अयुक्त संभोग करने अथवा उसे अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने एवं उसके साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में भी कोई बात अपने साक्ष्य कथन के दौरान नहीं बताई है, बल्कि उसके द्वारा यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं किया है। अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने हेतु विवश या विलुब्ध करने के संबंध में अथवा उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में अन्य किसी भी अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होनी भी नहीं पाई जाती है।

17. अभियोक्त्री के द्वारा कहीं भी अपने साक्ष्य कथन में आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार करने के संबंध में कोई भी बात नहीं बताई है। इस संबंध में अभियोक्त्री की दस्तयावी के पश्चात् उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है, किन्तु चिकित्सी परीक्षण करने वाले डॉक्टर बिमलेश गौतम अ0सा0 9 के कथनों में भी अभियोक्त्री के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत न दिया जा सकने का उल्लेख आया है और उसके प्राईवेट

पार्ट्स पर किसी प्रकार के चोट के निशान होने भी नहीं पाए गये हैं। ऐसी दशा में चिकित्सक अभिमत के आधार पर भी पीडिता के साथ बलात्कार की घटना होनी की कोई पुष्टि नहीं होती है।

18. अभियोजन के द्वारा अपने तर्क में आरोपी को घटना में संलग्न होने के संबंध में एफ.एस.एल. से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें आरोपी की चड़्डी व स्लाइड तथा पीडिता की स्लाइड, स्वाव व चड़्डी में मानव शुक्राणु और बीर्य के धब्बे पाये जाना जो कि पीडिता 15 वर्ष की होकर नाबालिग है। इसके अतिरिक्त आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना चिकित्सक के द्वारा बताया गया है। उक्त परिस्थितियाँ एवं साक्ष्य इस तथ्य को इंगित करती हैं कि अभियोक्त्री को आरोपी ही ले गया था और आरोपी के द्वारा उसके साथ बलात्कार की घटना की गई है।

19. जहाँ तक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्श सी-1 का प्रश्न है। यद्यपि प्रदर्श सी-1 की रिपोर्ट में पीडिता की स्लाइड, स्वाव व चड़्डी में मानव शुक्राणु और बीर्य के धब्बे पाये के आधार पर जबतक कि कोई ऐसा विशेषज्ञ अभिमत या डी.एन.ए टैस्ट रिपोर्ट इस संबंध में नहीं आई है कि उक्त शुक्राणु आरोपी के ही थे, आरोपी को अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा अपने अभिमत में आरोपी को संभोग करने में सक्षम होना बताया गया है इस आधार पर भी आरोपी के अपराध में संलग्न होने के संबंध में उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

20. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के पश्चात् पीडिता का धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन भी लेखबद्ध कराया गया है और मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथन में भी साक्षिया के द्वारा स्पष्ट रूप से जो कथन न्यायालय में दिया गया है उसी प्रकार के कथन दिया गया है और उसमें भी आरोपी के अपराध में किसी प्रकार से संलग्न होने के संबंध में उसके द्वारा नहीं बताया गया है। इस प्रकार धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।

21. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि आरोपी के द्वारा पीडिता को ले जाने अथवा पीडिता के साथ किसी प्रकार का संभोग या बलात्कार करने के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं है। इस संबंध में मात्र इस आधार पर कि आरोपी जिसका परीक्षण डॉक्टर धीरज गुप्ता अ0सा0 10 के द्वारा किया गया है वह संभोग करने में सक्षम है, इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है और इस संबंध में

रिपोर्ट लिखने एवं जप्ती व विवेचना की कार्यवाही के साक्षीगण गोपसिंह अ0सा0 11, ए.एस. तोमर अ0सा0 13, मोहरसिंह अ0सा0 14, डिम्पल मौर्य अ0सा0 15 के कथनों के आधार पर अपराध की प्रमाणिकता के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

22. अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भा0दं0वि0 के इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4, 5/6 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

23. लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा करने तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी एवं उसके द्वारा उसे जबरदस्ती ले जाने के तथ्य को ही अभियोक्त्री तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है तथा पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। इस प्रकार आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री के साथ कोई भी लैंगिक हमला अथवा लैंगिक अपराध किए जाने के संबंध में पीडिता के कथनों में जब प्रारंभिक रूप से कोई तथ्य ही नहीं आया है और न ही इस संबंध में कोई अन्य साक्ष्य आई है जिससे कि उस पर लैंगिक हमला होने की पुष्टि होती हो, ऐसी दशा में धारा 29 तथा धारा 30 के अंतर्गत उपधारणा नहीं की जा सकती।

24. इस प्रकार प्रकरण में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी के द्वारा अभियोक्त्री को उसकी विधिपूर्ण संरक्षता से बिना उसकी सहमति के उसे ले जाया गया अथवा बहला/फुसलाकर ले जाना एवं अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या बिलुब्ध करने के आशय से उसका व्यपहरण/अपहरण किये जाना तथा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किये जाने एवं उसके साथ कोई लैंगिक हमला कारित किया जाना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

25. तदनुसार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी को धारा 363, 366, 376(2)(आई) भा0दं0वि0 एवं धारा 3/4, 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

26. प्रकरण में जप्तशुदा बताए गए पीडिता की चड्डी, आरोपी की चड्डी स्लाइड व स्वाव व प्यूबिक हेयर अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म0प्र0

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला-भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)